उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग–10
संख्याः 446540 / **XXVII(10)/2026-E-74906**
देहरादून, दिनांकः 05 नवम्बर, 2026

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः छठवें वेतन आयोग अन्तर्गत वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की दरों में संशोधन (दिनांक 01 जुलाई, 2026 से प्रभावी)।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–406353/XXVII(10)/2026-E-74906, दिनांक 18 जून, 2026 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न–भिन्न कारणों से सातवें पुनरीक्षित वेतनमानों में संशोधित नहीं किए गए हैं, उन्हें दिनांक 01.01.2026 से मूल वेतन से का 262 % की दर से महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. भारत सरकार के पत्र संख्या–1/2(ii)/2026–ई.II(बी), दिनांकः 29.10.2026 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों आदि के उन कर्मचारियों को, जो छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार छठवें वेतनमान में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, **दिनांक 01.07.2026 से स्वीकार्य महंगाई भत्ते की मौजूदा दर 262 % को बढ़ाकर 269 % प्रतिमाह किये जाने** की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक् से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों, जिन्हें शासकीय कार्मिकों के समान पांचवा वेतनमान अनुमन्य है, पर भी लागू होगा।

5. महंगाई भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित किये गये हैं, यथावत् लागू रहेंगे।

6. उक्त कार्मिकों को दिनांक 01.07.2026 से 31.10.2026 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान माह नवम्बर, 2026 के वेतन के साथ नकद किया जायेगा। दिनांक 01.11.2026 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जायेगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना/एन0पी0एस0 से आच्छादित कार्मिकों को अपरोक्तानुसार देय डी0ए0 एरियर में उक्त योजनान्तर्गत पूर्व की भांति नियमानुसार अंशदान की कटौती कर ली जाएगी।

Digitally signed by
Vadivel Shanmugam
Date: 05-11-2026
16:43:20

(डॉ0 वी0 षणमुगम)
सचिव

संख्याः 446540 (1)/ XXVII(10)/2026-E-74906, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून
2. महालेखाकार, (लेखारीक्षा), उत्तराखण्ड देहरादून
3. मुख्य निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
5. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल
7. समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन
8. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून
9. सचिव, शहरी विकास/औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
10. आयुक्त कुमाऊँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
12. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन
13. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली
14. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
15. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून
16. निदेशक, शहरी विकास/पंचायती राज/प्राविधिक शिक्षा/विभागीय लेखा उत्तराखण्ड
17. बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून
18. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड
19. वरिष्ठ वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
20. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, देहरादून
21. गार्ड फाइल

आज्ञा से

Digitally signed by
Khajan Chandra Pandey
Date: 05-11-2026
16:46:42

(खजान चन्द्र पाण्डे)
अपर सचिव